उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-52/2025/326/23-3-2025-16(ईएस)/2024

लखनऊ, दिनांक: 05 मार्च, 2025

कार्यालय-आदेश

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राम नाथ सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-2025) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रू0-10000/- (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल, एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राम नाथ सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in